"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250] रायपुर, शनिवार, दिनांक 18 सितम्बर 2010—भाद्र 27, शक 1932

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 04/रानिआ/न. पा./व्यय लेखा/10/2631.—दिनांक 4-9-2010 को नगर पंचायत बोदरी, जिला-बिलासपुर के 03 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एन. आर. साहू,
अवर सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-04/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

1. श्रीमति दुर्गा कौशिक, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत बोदरी जिला बिलासपुर छ. ग.

2. रघुवीर लोधी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत बोदरी जिला बिलासपुर छ. ग.

3. बी. पी. विश्वकर्मा, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत बोदरी, जिला बिलासपुर छ. ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

(पारित दिनांक 4 सितम्बर, 2010)

1. यह प्रकरण जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) बिलासपुर के प्रतिवेदन दिनांक 2 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत बोदरी, जिला-बिलासपुर के अध्यक्ष पद के लिये आम निर्वाचन का परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. इस निर्वाचन में कुल 06 अभ्यर्थियों ने लड़ा था. अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने पत्र दिनांक 15 फरवरी 2010 के साथ संलग्न प्रतिवेदन दिनांक 2 फरवरी 2010 द्वारा अवगत कराया कि नगर पंचायत बोदरी के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में से श्रीमति दुर्गा कौशिक, रघुवीर लोधी एवं बी.पी. विश्वकर्मा द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27-12-2009 के पश्चात् 30 दिवस के अंदर अर्थात् दिनांक 27-1-2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपरोक्त तीनों अभ्यर्थियों को कारण बताओ सूचना दिनांक 06-03-2010 को जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस के अन्दर चाहा गया. कारण बताओ सूचना श्रीमति दुर्गा कौशिक को दिनांक 25-3-2010 को, रघुवीर लोधी को दिनांक 26-03-2010 को तथा बी.पी. विश्वकर्मा को दिनांक 24-03-2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थियों को तामील होने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अवधि 15 दिवस में उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा आज दिनांक पर्यन्त भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि उपरोक्त अभ्यर्थियों को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया.

4. चूंकि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत बोदरी के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी श्रीमति दुर्गा कौशिक, रघुवीर लोधी एवं बी.पी. विश्वकर्मा ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया तथा आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने का सूचना नहीं दिया है; अतः मुझे यह समाधान हो गया हैं कि श्रीमति दुर्गा कौशिक, रघुवीर लोधी एवं बी.पी. विश्वकर्मा प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त तीनों अभ्यर्थी अर्थात् श्रीमति दुर्गा कौशिक, रघुवीर लोधी एवं बी.पी. विश्वकर्मा निर्वाचन व्ययों का

लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार वर्ष एवं ग्यारह माह की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन कराया जाए.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.